दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) मंगलवार,02 मई,2006/वैशाख 10,1928(शक)

संख्या- 169

विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, एस.एच.ओ.,पुलिस थाना तिमार पुर, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:- "मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री जिले सिंह चौहान को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा-65 के अंतर्गत दिनांक 02.05.2006 को 1440 बजे गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन, उसी स्थान से 1508 बजे रिहा कर दिया

गया"।

सिद्धार्थ राव सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Tuesday 02nd May 2006/10 Baisakh 1928

No. 169

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO, Timar Pur, Delhi.

"I have the honour to inform you that Shri Jile Singh Chauhan, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi, was detained u/s 65, at 1440 hrs.on 02.5.2006.

He was released at 1508 hrs. from the same place on same date."

Siddharath Rao Secretary